न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नंबर 2024/292

1. अर्जुनलाल पुत्र श्री श्योजीराम
2. घीसी देवी पत्नी श्री गोपाल
3. जयराम पुत्र श्री श्योजीराम
4. रामकंवार पुत्र श्री श्योजीराम
5. रामनारायण पुत्र धन्नाराम
6. रामप्रसाद पुत्र श्योजीराम
7. विमला देवी पत्नी श्री रमेश चन्दग्राम बृजनाथपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

अपीलाण्टस

बनाम

1. धर्मेन्द्र पुत्र बालू जाति जाट निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी जिला दूदू (राज0)

–रेस्पोडेण्टस

2. शंकरलाल पुत्र जगदीश नारायण जाति जाट निवासी रामनगरिया पोस्ट जगतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज0)
3. संजू धर्म पत्नी मुकेश जाति महाजन निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला दूदू (राज0)
4. तहसीलदार फागी जिला दूदू (राज0)

–प्रोफार्मा रेस्पोडेण्टस्

अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 आदेश दिनांक 19–02–2021 उनवानी धर्मेन्द्र बनाम भंवरलाल व अन्य प्रार्थना पत्र सं0 11/2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के विरूद्ध ।

उपस्थित–

1. श्री राजकुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री राजाराम चौधरी वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–31.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 19.02.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा- 5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाके ग्राम संग्रामपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 375/214 रकबा 3.5406 है0 के पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर द्वारा आवेदन स्वीकार कर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी उभयपक्षकरान् की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 19.02.2021 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 19.02.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर दिनांक 19.02.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर अपीलांट, केवियटकर्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट स० 1 लगायत 3 ने आपसी दुरभिसंधि करके तथा साज पूर्वक कानूनी प्रावधानो का मिथ्या तथ्य गढकर बेजा फायदा उठाकर उक्त आलोच्य आदेश पारित करवाया गया है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपने सह खातेदार रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 को ही पक्षकार बनाया जबकि रेस्पोडेन्टस की आराजीयात के पडोसी खातेदार अपीलान्ट्स की खातेदारी है जिसके खसरा नम्बर 1/3 रकबा 3.7935 हैक्टेयर है को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सीमांकन व पत्थरगढी के प्रकरणो मे पडोसी खातेदारो को सुनवाई का अवसर देकर ही युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाना चाहिये। जबकि रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपने सह खातेदार रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 को ही बतौर विपक्षी के रूपमे नाम अंकन कर दिया तथा दुरभिसंधि करके तामील करवाकर इकबाले जवाब देकर उक्त आलोच्य आदेश पारित करवा लिया जो काबिले निरस्त योग्य है।यहकि एक सह खातेदार दूसरे सह खातेदार के विरूद्ध ना तो सीमांकन का आदेश पारित करवा सकता है तथा ना ही पत्थरगढी का आदेश पारित नही करवा सकता। चूकि रेस्पोडेन्टस की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 375/214 सह खातेदारी की भूमि है. जब तक विधिवत रूप से तकासमा नही हो जाता तब तक एक दूसरे के विरूद्ध सीमांकन या पत्थरगढी कायम नही की जा सकती। रेस्पोडेन्ट सं01 लगायत 3 की कृषि आराजीयात सं० 375/214 के पडोसी खातेदार अपीलान्ट है जिनके खसरा नं० 1/3 रकबा 3.7935 हैक्टेयरको कानूनी प्रावधान अनुसार सीमांकन व पत्थरगढी से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित था तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था।अधीनस्थ न्यायालय को मुगालते मे रखते हुए सहखातेदारो को ही अप्रार्थीगण के रूप मे पक्षकार जोडा गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29–02–2021 को पारित किया गया जिसकी पालना दिनांक 19–06–2024 को यानी करीब साढे तीन वर्ष बाद मे करवायी गयी है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति लिये बिना एवं उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर निर्णय दिनांक 19.02.2021 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम संग्रामपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 375/214 रकबा 3.5406 के रेस्पो0 1, 1/2 हिस्से के एवं रेस्पो0 संख्या 2 व 3, 1/4–1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

समक्ष विधिवत् अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाइश पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 पेश किया। अपीलांट्स द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण को हैरान–परेशान करने की नियत से असत्य, मिथ्या बनावटी तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की प्रारम्भ से ही बखूबी जानकारी रही है। अपीलार्थी द्वारा उक्त मियाद बाहर अपील फौरे तथ्यों पर संतोषप्रद कारण के अभाव में एवं देरी ना के सम्बंध में कोई सम्यक युक्ति युक्त कारण दर्शित किये बिना ही अपील पेश की है।प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत् अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाइश पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत् उक्त खसरा नम्बर पर उभयपक्षकारान् को सूचित कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है। प्रत्येक खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी की भूमि की विधिक प्रकिया के तहत पत्थरगढी पैमाईश करवा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2021 की अनुपालना में सभी पक्षकारान् की उपस्थिति में पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक 19.06.2024 को पूर्ण हो चुकी है। अपीलांट को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। अपीलांट द्वारा प्राथीगण को अपनी खातेदारी की भूमि के सीमाज्ञान करवाने के आश्वासन दिये जाने के कारण पालना के लिए देरी हुई। फिर भी किसी पडौसी काश्तकार खातेदार को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी भूमि मौके के अनुसार कम या ज्यादा हैतो वह राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा–128 के तहत् अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश व पत्थरगढी करवा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश की पालना हो जाने से अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की पालना दिनांक 19.06.2024 को होने से अपीलांट्स द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पो0 द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 375/214 रकबा 3.5406 है0 की पत्थरगढी का आवेदन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा विधिवत् ही उभयपक्षकरान् की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 19.02.2021 दिये गये हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी की भूमि की विधिक प्रक्रिया के तहत पत्थरगढी पैमाईश करवा सकता है। रेस्पो0 द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है। जिसका वह विधिक अधिकारी भी है। उक्त अपीलाधीन आदेश 19.02.2021 की पालना भी दिनांक 19.06.2024 को की जा चुकी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश की पालना हो जाने से अपील इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित समक्षते हैं। फिर भी अगर किसी पक्षकार को आपत्ति है तो वह अपनी खातेदारी भूमि की विधिक प्रक्रिया के तहत आवेदन कर पैमाईश व पत्थरगढी करवा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट बहस एडमिशन के स्तर पर ही निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 19.02.2021 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर